



चीन की चाहत

क जाकिस्तान के अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन (एसीओ) की बैठक के द्वारा चीन और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत को एक पॉस्टिटिव सेक्टर तो माना जा सकता है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की ठोस उम्मीद के लिए हाजार से देखा जाए तो उसके लिए अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात इस बीच ज़रूर हुई है, लेकिन उनकी बैठक एक साल बाद हो रही थी। बैठक की सार्थकता इस बात में भी है कि पहली बार दोनों पक्षों ने महसूस किया, एलएसी पर गतिरोध का लाभ खिचना किसी के हक में नहीं है और वह कि सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है। इस लिए हाजार से दोनों पक्षों में इस बात पर भी सहमति बनी कि कूटनीतिक और सैन्य अधिकारियों की मीटिंग जारी रखी जायेगी। देखा जायेगा मैट्रिक्यूलर 2020 में सीमा पर कई इलाकों में चीनी सेना के आगे बढ़ आने और गलवान घाटी में भिंडिंग होने के बाद तात्परी के बीच भी दोनों पक्षों में बातचीत जारी रही। एलएसी पर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए वर्किंग मेकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कार्डिनेशन (डब्ल्यूएसीपी) की दो दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं। कारों कमांडर लेवल पर भी 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मासले सुलझे भी हैं। लैंकिं डेप्सांग और डेमपक जैसे पॉइंट पर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी बजह से दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़करार है। सवाल है कि क्या चीनी पक्ष

कोर कमांडर लेवल पर भी 21 दौर की बातचीत हो चुकी है। कुछ मासले सुलझे भी हैं। लैंकिं डेप्सांग और डेमपक जैसे पॉइंट पर मतभेद बने हुए हैं, जिसकी बजह से दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़करार है। सवाल है कि क्या चीनी पक्ष

इस बात को लेकर सचमुच गंभीर है कि बातचीत का कोई हल भी निकले। संस्कृत की बजह वह भी है कि उसकी तरफ से पिछले कुछ समय से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सीमा पर जो भी मतभेद है, उन्हें दर्दिकानर करते हुए दोनों देशों को आपसी संबंध सामान्य बनाने की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। इस पर भारत अपना रुख साक का चुका है और उस पर अंडिंग है कि जब तक सीमा पर जारी गतिरोध को दूर नहीं कर लिया जाता तब तक तक दोनों देशों के लिए समान्य हो जाएगा। ऐसे में दोनों विदेश मंत्रियों को वह स्थानीकरण की सीमा पर शांति हमेशा बनानी पड़ती है, इस बात का संकेत माना जा सकता है कि अब दोनों पक्षों में होने वाली बातचीत को फलप्रद बनाने का अतिरिक्त प्रयास दोनों सरकारों की ओर से होगा, लेकिन वह संभावना सच होती है कि या नहीं और चीन अब सचमुच सीमा पर गतिरोध खत्म करना चाहता है या इस बैठक का मकानसंद अंतरराष्ट्रीय हलकों में कुछ खास संकेत देने तक सीमित था, वह आगे के उसके व्यवहार से ही स्पष्ट होगा।

अभिमत
आजाद सिपाही

नियम है कि इस पर विचार करने, निर्णय तक पहुंचने और एक फैसला सुनाने तथा उस पर अकल करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश हैं। यहीं वास्तविक मुद्दा है जिस पर न पहले और न अब लागू कानूनों में तनिक गी ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

पूरन चंद्र सरीन

देश ने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए हैं। क्या केवल नाम बदला है, वह महत्वपूर्ण प्रश्न आज बहस का विषय है? इह न्याय का पर्याय बताया जा रहा है। क्या यह समझा जाए कि क्योंकि वे गुलामी की निशानी थे इसलिए बदलाव जरूरी था?

विवेक बनाम न्याय : इसमें कोई विवेधाभास नहीं है कि समाज में यदि किसी ने कोई गलती की है और छोटे या बड़े किसी भी स्तर का अपराध है, उसके लिए दंड अनिवार्य है। इसकी विधि वर्ता है। नियम है कि इस पर विचार करने, निर्णय तक पहुंचने और फिर फैसला सुनाने तथा उस पर अकल करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात् समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहीं वास्तविक मुद्दा है जिस पर न पहले और न अब लागू कानूनों में तनिक भी ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

कुछ उदाहरणों से समझा जाना है; 2 विविक एक ही कानून, मान लौजिंग के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। सब कुछ समान है, लैंकिं एक का जमानत मिल जाती है, दूसरे को नहीं। एक न्यायाधीश जमानत देता है, तो दूसरा उच्च न्यायालय में बैठ कर उस पर रोक लगा देता है। हैरानी की बात है। एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति को

अपनी युवावस्था में किसी अपराध के लिए लंबी सजा सुना दी जाती है। 5, 10, 15, या 20 नहीं अनेकों बार पाया जाता है कि वह व्यक्ति तो निरपराध था, उसने तो अपराध किया ही नहीं था। मतलब वह कि किसी ने तो



अपराध किया था और वह आजाद धूम रहा था और निर्वेष सजा काट रहा था। वर्षों बाद निर्णय होता है कि सजा गलत थी। वह सलाखों से बाहर आता है, तब तक असली अपराधी न्याय तंत्र के पहुंच से बाहर जा चुका होता है।

प्रश्न उत्तर है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक ने अधार पर आधार पर विचार करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात् समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहीं वास्तविक मुद्दा है जिस पर न पहले और न अब लागू कानूनों में तनिक भी ध्यान दिया गया है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

कुछ उदाहरणों से समझा जाना है; 2 विविक एक ही कानून, मान लौजिंग के अंतर्गत पकड़े जाते हैं। सब कुछ समान है, लैंकिं एक का जमानत मिल जाती है, दूसरे को नहीं। एक न्यायाधीश जमानत देता है, तो दूसरा उच्च न्यायालय में बैठ कर उस पर रोक लगा देता है। हैरानी की बात है। एक और उदाहरण है। एक व्यक्ति को

अपनी युवावस्था में किसी अपराध के लिए लंबी सजा सुना दी जाती है। 5, 10, 15, या 20 नहीं अनेकों बार पाया जाता है कि वह व्यक्ति तो निरपराध था, उसने तो अपराध किया ही नहीं था। मतलब वह कि किसी ने तो

नहीं, मामूली धक्कापूर्ति तक नहीं और न्याय की दुर्दृश्य देने वालों के लिए कोई नहीं।

यह स्थिति आजादी से पहले थी और जिसने सजा दी थी और जिसने अब राजनीतिक ध्यान देता है।

प्रश्न उत्तर है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक ने अधार पर विचार करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात् समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

प्रताड़ित करने की सोच को विकसित करती है। इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गयी है। यह सेवा क्या और कैसी होगी, इसका कोई विवरण नहीं है? समाज सेवा के नाम पर तो अधिकार राजनीतिक ध्यान देता है।

यह स्थिति आजादी से पहले थी और जिसने सजा दी थी और जिसने अब राजनीतिक ध्यान देता है। प्रश्न उत्तर है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक ने अधार पर विचार करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात् समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

इसके बादी विवरण के क्षेत्र में भी अंतर है। संचारित करने की सोच को विकसित करती है। इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गयी है। यह सेवा क्या और कैसी होगी, इसका कोई विवरण नहीं है? समाज सेवा के नाम पर तो अधिकार राजनीतिक ध्यान देता है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

प्रताड़ित करने की सोच को विकसित करती है। इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गयी है। यह सेवा क्या और कैसी होगी, इसका कोई विवरण नहीं है? समाज सेवा के नाम पर तो अधिकार राजनीतिक ध्यान देता है। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

यह स्थिति आजादी से पहले थी और जिसने सजा दी थी और जिसने अब राजनीतिक ध्यान देता है। प्रश्न उत्तर है कि क्या किसी भी न्यायाधीश का यह कहना पर्याप्त है कि महोदय ने अपने विवेक ने अधार पर विचार करने के लिए नियुक्त पुलिस, दंडाधिकारी और न्यायाधीश के सामने एक विकल्प रहता है कि वे कानून की धाराओं के अनुसार आचरण करने या अपने विवेक अर्थात् समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आवश्यक था पर इसे नहीं किया जा याए।

प्रताड़ित करने की सोच को विकसित करती है। इन कानूनों में कुछ मामलों में सजा को समाज सेवा के दायरे में रखने की बात कही गयी है। यह सेवा क्या और कैसी होगी,

धनबाद/बोकारो/बेटमो

एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

आजाद सिपाही संचाददाता

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) हेमा प्रसाद ने शनिवार को शहर के एसएनएमएमसीएच अस्पताल के लावरिस, अल्ट्रासाउंड केंद्र, जेनरल वार्ड, इमर्जेंसी वार्ड के अलावा शिशु विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, सर्जरी विभाग, एक्स्प्रेस रूम, अल्ट्रासाउंड केंद्र, जेनरल वार्ड, इमर्जेंसी वार्ड आईसीयू, स्ट्री एवं प्रसव रोग विभाग अंत कक्ष आदि विभिन्न विभाग एवं सेंटर का निरीक्षण किया। इस द्वारा समय पर समूचित सुविधा प्रदान कराने, सफ-सफाई की व्यवस्था, चार बदलने और दवा आदि की उत्तमता के बारे में जानकारी ली। इस पर मरीज ने समय पर डॉक्टर के आने, एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण कर्तवी एडीएम (कानून व्यवस्था)।



नर्स द्वारा समय पर समूचित सुविधा प्रदान कराने, सफ-सफाई की व्यवस्था, चार बदलने और दवा आदि की उत्तमता के बारे में जानकारी ली। इस पर मरीज ने समय पर डॉक्टर के आने, एडीएम (कानून व्यवस्था) के वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उत्तमता कर उत्तमता देने का निर्देश दिया।

झारिया मातृसदन में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा

झरिया (आजाद सिपाही)। झरिया मातृसदन अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिला चंद्रवाती देवी व नवजात की मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन पर विकित्सा में लापराही बरतने का अरोप लगाया। यह देख अस्पताल से डॉक्टर और और आक्रमित लोगों को समझौता हुआ कर शांत कराया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजन को निवारी माहन तिवारी ने बताया की उनकी पती चंद्रवाती देवी को शुक्रवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मातृसदन अस्पताल में डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल की सलाह पर भर्ती कराया गया। अल्ट्रासाउंड करवाये गए अपेक्षित लोगों को समझौता हुआ कर शांत कराया। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा मृतक के परिजन को निवारी माहन तिवारी ने बताया की उनकी पती चंद्रवाती देवी को शुक्रवार को पेट में दर्द की शिकायत के बाद मातृसदन अस्पताल में डॉक्टर कृष्ण अग्रवाल की सलाह पर भर्ती कराया गया। अल्ट्रासाउंड करवाये गए अपेक्षित लोगों को समझौता हुआ कर शांत कराया। उन्होंने अरोप लगाया कि दर्द खाने के बाद ही पती की तबियत बिंदी और उसकी मौत हुई है। समय रहते हुए पती का इलाज सही ढंग से हो जाता तो उसकी जान बच सकती थी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सीओ ने बीएलओ के साथ की बैठक



चतरोची (आजाद सिपाही)। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर तत्त्वरोची प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को गोपनीय सीओ प्रीदीप महतों ने बीएलओ के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान सीओ ने मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित प्रायंक के बीएलओ से सभी बिंदुओं व फाँसी की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिया। उन्होंने बीएलओ के मतदाता सूची को ट्रिट्रिहित करने के लिए घर-घर जाकर अच्छे से सर्वे करने की निर्देश दिया। 118 वर्षों से अधिक उम्र वालों को मतदाता सूची में नाम दिया जाने की अपील करने के बाद नवरत्न सीओ ने बीएलओ के मतदाता सूची को ट्रिट्रिहित करने की निर्देश दिया। बीएलओ के दिए एग कार्यों की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची का काम निर्धारित समय सीमा के अंदर करने को कहा। बैठक में सातों पचास योग्यकारी के आंगनबाड़ी संविका व बीएलओ शामिल थी।

अवैध बालू लदा हाइवा और ट्रैक्टर जब्त



धनबाद (आजाद सिपाही)। डीसी मध्यांशु मिश्र के निर्देश पर जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, भाराणव व परिवहन के विरुद्ध कर्तरायी जारी है। इसी कड़ी में जिला खनन टारक फोर्स ने शनिवार तड़के तीव्र बजे से सुबह 7 बजे के बीच राजगंज व बरवार-अच्छा थाना क्षेत्र में और जांच की गयी अभियान चलाया। खान निरीक्षक निवारी के निवारी प्रमाणिक के द्वारा जारी रखा गया। बरवार-अच्छा थाना क्षेत्र से 500 घण्टीत अवैध बालू लदा हाइवा और राजगंज थाना क्षेत्र से करीब 100 घण्टीत अवैध बालू लदा बिना नंबर का ट्रैक्टर पकड़ा गया। जांच दल को देखते ही दोनों वाहनों के चालक फ्लाई हो गये। वही, जांच के बाद दोनों वाहनों के विरुद्ध सुविधावाली की निर्देश दिया। जांच दल में नवनियुक्त खान निरीक्षक सुमित प्रसाद, बसंत उरांव, विजय करमाली आदि शामिल थे।

मैथन में अपराध गोष्ठी का आयोजन



एज्यारकुण्ड (आजाद सिपाही)। निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रजत मायिक बाख्याल के मैथन कार्यालय में शनिवार को जेन महीने के अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। निरसा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सीधी थाना व अपील प्रभारी के समक्ष जून महीने में प्रतिवेदित एवं निष्पादित दोनों वाले सम्बाधित कार्डों की सीधीका की। रीयो पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त पत्रों का निष्पादन, बार्ट का निष्पादन, थाना प्रभारी को खुद वाहन जांच करने एवं चोरी, गृहभेदन, वाहन चोरी आदि के रोकथाम को लेकर कई अवैधक निर्देश दिया। बारंट, कॉर्स, सम्मान आदि का निष्पादन करने की भी निर्देश दिया गया। बैठक में बिरुद्ध थाना प्रभारी सीधी रसीद सिंह, अंचल निरीक्षक कफगु होरी, निरसा थाना प्रभारी मंजित कुमार, अंचल पुलिस पदाधिकारी अकृष्ण अमन, कलतुब्यान अपील प्रभारी जांच प्रकाश, गलफरवाड़ी ओपी प्रभारी नीतीश कुमार, कुमारसुब्बी अपील प्रभारी पंकज कुमार, पंचत अपील प्रभारी प्रभात राय और रेड जेपी वर्मा उपस्थित थे।

आजाद सिपाही संचाददाता

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई हेमा प्रसाद, दी हिदायत

धनबाद। एडीएम (कानून व्यवस्था) ने किया एसएनएमएमसीएच अस्पताल का निरीक्षण

महिला वार्ड में पुरुष और गंदगी देख नाराज हुई ह

